

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

.....  
किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 254/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
27/05/24	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>याश्रुजा जी स्याह गढकेर</u> <u>जरिर पुजारी</u> <u>आलदास</u> <u>बिता जमुदास बंशगी</u> वित्त श्री .....</p> <p>निवासी- <u>बस्ती</u> ..... तहसील <u>बस्ती</u> जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम ..... <u>बस्ती</u> ..... स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>3071</u></p> <p>.....</p> <p>कुल कीता <u>01</u> ..... कुल रकबा <u>0.2000</u> है० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>बस्ती (तह. बस्ती)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>3071</u> .....</p> <p>.....</p> <p>कुल कीता <u>01</u> ..... रकबा <u>0.2000</u> है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>500.00</u> रुपये अक्षरे <u>पांच सौ रुपये</u> ..... प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(बिन्नु देवल) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>